न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 230/2023

1. रूगनाथराम पुत्र विरधीचंद विश्नोई
2. सुनीलकुमार पुत्र विरधीचंद विश्नोई
   निवासीगण कांधी की ढाणी
   तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. गेबराराम पुत्र चुकटाराम मेघवाल
   निवासी लुम्बावास, सिन्धासवा हरनियान
   तहसील गुडामालानी, जिला जोधपुर
2. पुनित कुमार धारीवाल पुत्र गौतमचंद धारीवाल जाति जैन
   निवासी गुडामालानी, तहसील गुडामाली
   जिला बाडमेर
3. जगदीशचंद पुत्र शंकरलाल जाति जैन
   निवासी बाण्ड, तहसील नोखडा
   जिला बाडमेर
4. मनोजकुमार पुत्र धनराज
5. रवीन्द्र कुमार पुत्र धनराज
6. धनराज पुत्र लीलाधर
   जातियान जोशी, निवासीगण गुडामालानी
   तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर
7. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार गुडामालानी
   जिला बाडमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी दिनांक 17 अप्रेल 2023 राजस्व प्रकरण संख 27/2023 गेबराराम बनाम पुनित कुमार इत्यादि

उपस्थित–

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री अक्षय सुराणा, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 4 से 6
रेस्पो. संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 04 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 27/2023 गेबराराम बनाम पुनितकुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 अप्रेल 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक गेबराराम ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के तहत एक प्रार्थनापत्र ग्राम गुडामालानी स्थित आराजी खसरा संख्या 165/5 रकबा 2.3715 हैक्टेयर की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी हेतु पेश किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अप्रेल 2023 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए एवं अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान के रूबरू तैयार करवा कर नहीं मंगायी गयी है और विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पुलिस इमदाद से नेखमबंदी किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया, इसलिए समुचित समय में अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं हो पायी, दिनांक 12 जून 2023 को पटवारी हळका द्वारा गांव में बताने पर अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को भान हुआ और दिनांक 13 जून 2023 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकलें प्राप्त करने पर विधिवत अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी हुई। अतः मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे और अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स पर विधिवत नोटिस तामील कराये गये, मगर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की खातेदारी भूमि है, जिसके चारो तरफ माठ अथवा सीमा चिन्हों के अभाव में बहुधा पडौसी खातेदारान के तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. के आवेदन को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय में उपलब्ध आदेशिका अनुसार दिनांक 20 जनवरी 2023 को विचारण न्यायालय में प्रकरण संस्थित किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण तलब होकर आइन्दा पेशी 21 फरवरी 2023 मुर्करर की गयी। आगामी दिनांक 21 फरवरी 2023 व 17 मार्च 2023 की आदेशिकाओं में अंकिताअनुसार पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यो में व्यस्त होने से पेशी इल्तिवा की गयी और आगे पेशी 11 अप्रेल 2023 निर्धारित की गयी। दिनांक 11 अप्रेल 2023 को राजकीय अवकाश होने से मिसल दिनांक 17 अप्रेल 2023 को पेश हुए, उक्त दिनांक 17 अप्रेल 2023 की आदेशिका में "... वकील प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के सम्मन डाक द्वारा भेजकर रसीदे पेशी की, रसीदे शामिल पत्रावली की गयी..." अंकित किया गया है। मगर सम्मन डाक से भिजवाये जाने का न तो विचारण न्यायालय की पत्रावली में कोई आदेश पारित होना पाया जाता है और न ही सम्मन डाक से भिजवाने की तथाकथित रसीदात विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। जाहिर है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स पर सम्मन/नोटिस की तामील निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप समुचित एवं सम्यक रूप से नहीं हुई। जिससे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए पारित किया जाना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार करते हुए आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अप्रेल 2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को नियमानुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का नये सिरे से आगामी दो माह की अवधि में निस्तारण किया जावे। पक्षकारा मूल प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12 सितम्बर 2024 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर